अध्याय-I

विहंगावलोकन

अध्याय-I

विहंगावलोकन

यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण की व्याख्या करता है तथा अंतर्निहित आँकड़े सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचियों के वृहत्-राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटे/अधिशेष सहित संघ शासित क्षेत्र की मुख्य राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

1.1 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की रूपरेखा

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर 20 जिलों से मिलकर बना है। 2021 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की अनुमानित जनसंख्या 1.34 करोड़ थी तथा घनत्व 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। भारत और राज्यों के जनसंख्या अनुमानों 2011-2036 के अनुसार, वर्ष 2021-25 तक की अवधि के लिए, जनसंख्या वृद्धि 7.2 एवं शिशु मृत्यु दर 29 पर अनुमानित की गयी है।

1.1.1 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) दी गयी समयावधि में संघ शासित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी की वृद्धि अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समयावधि में राज्य/संघ शासित क्षेत्रके आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को व्यक्त करता है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को समान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का जीएसडीपी वर्ष 2020-21 के दौरान ₹1,76,282 करोड़ था।

तालिका 1.1. जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी

(₹करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21
जीडीपी (2011-12 श्रृंखला)	2,03,51,013	1,97,45,670
पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.75	-2.97
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला)	1,70,382	1,76,282

स्रोत: एमओएसपीआई, जीओआई वेबसाइट

**पिछले वर्ष की तुलना में जीएसडीपी की वृद्धि दर दो नये संघ शासित क्षेत्र अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर एवं संघ शासित क्षेत्र लद्दाख 'निर्धारित दिन' 31 अक्टूबर 2019 से गठन हुआ था, के रूप में नहीं दर्शाया गया है।*

1.2 संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 72 के संदर्भ में, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के प्रतिवेदनों को संघ शासित क्षेत्र के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाना है, जो उन्हें संघ शासित क्षेत्र के विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करायेंगे। संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 72 के अंतर्गत तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के नियंत्रणाधीन कार्यरत ऐसे लेखाओं को रखने के लिए उत्तरदायी राजकोषों, कार्यालयों एवं विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गए वाउचरों, चालानों और प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों से वार्षिक रूप से संघ शासित क्षेत्र के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है। इन लेखाओं की लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है तथा सीएण्डएजी द्वारा प्रमाणित की जाती है।

संघ शासित क्षेत्र के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए आधारभूत आँकड़े निर्मित करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है:

- संघ शासित क्षेत्र का बजट: इसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता तथा प्रासंगिक नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के साथ-साथ अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदण्डों और आबंटन प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए;
- प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा संचालित लेखापरीक्षा का निष्कर्ष;
- विभागीय प्राधिकारियों एवं राजकोषों के आँकड़े (एमआईएस के साथ-साथ लेखांकन)
- जीएसडीपी आँकड़े तथा अन्य संघ शासित क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी; तथा
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अन्य विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

वित्त आयोग (एफसी) की अनुशंसाओं, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा भारत सरकार की सर्वोत्तम रीतियों एवं दिशा निर्देशों के प्रसंग में भी विश्लेषण किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

संघ शासित क्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नानुसार पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है:

अध्याय-I	**विहंगावलोकन** यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण की व्याख्या करता है तथा अंतर्निहित आँकड़े, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचियों के वृहत-राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटे/ अधिशेष सहित संघ शासित क्षेत्र की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन उपलब्ध कराता है।
अध्याय-II	**संघ शासित क्षेत्र के वित्त** यह अध्याय संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के वित्त,ऋण की रूपरेखा का व्यापक दृष्टिकोण, राज्य वित्त लेखे पर आधारित, वर्ष 2020-21 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य लोक लेखा संव्यवहारों को उपलब्ध कराता है।
अध्याय-III	**बजटीय प्रबंधन** यह अध्याय वर्ष 2020-21 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विनियोग लेखे पर आधारित है तथा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विनियोगों एवं आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलनों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
अध्याय-IV	**लेखाओं एवं वित्तीय रिपोर्टिंग रीतियों की गुणवत्ता** यह अध्याय संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखाओं की गुणवत्ता तथा सरकार के विभिन्न विभागीय कर्मियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों एवं विनियमों के अनुपालन नहीं करने से संबंधित मामलों पर टिप्पणी करता है।
अध्याय-V	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन** इस अध्याय में वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन के बारे में टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं।

1.4 सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा गया हैः

1. **संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि (जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 67)**

   इस निधि में जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में भारत सरकार अथवा जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के उपराज्यपाल द्वारा किसी मामले के संबंध में प्राप्त सभी राजस्व शामिल हैं, जिसके संबंध में जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा भारत की समेकित निधि से जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र को दिये गये सभी अनुदानों और सभी ऋण तथा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत सरकार या संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा लिये गये सभी ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का निर्माण करेगी। इस निधि से कानून के अनुसार और उद्देश्यों के लिए तथा जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में प्रावधान किये गये तरीकों के अतिरिक्त कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता।

2. **संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की आकस्मिकता निधि (जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 69(1))**

   यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे विधानमण्डल द्वारा कानून द्वारा स्थापित किया गया है तथा कानून द्वारा विनियोजन के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विधानमण्डल द्वारा प्राधिकार के लिए लंबित ऐसे अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु उपराज्यपाल के निपटान पर रखा गया है। इस निधि की प्रतिपूर्ति संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष से संबंधित व्यय को डेबिट करके की जाती है।

3. **संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का लोक लेखा (जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 68(1))**

   उपर्युक्त के अलावा, उपराज्यपाल द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशि को लोक लेखा जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लोक लेखा के नाम से जाना जाएगा, में जमा किया जाएगा। लोक लेखा में

लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमाएं (ब्याज वहन करने वाली एवं ब्याज वहन नहीं करने वाली), अग्रिमों, आरक्षित निधियाँ (ब्याज वहन करने वाली एवं ब्याज वहन नहीं करने वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों निक्षेपागार शीर्ष हैं, अंतिम बुकिंग लंबित है) जैसे पुनर्शोध्य शामिल हैं। लोक लेखा के अंतर्गत सरकार के साथ उपलब्ध निवल नकद शेष को भी शामिल किया जाता है। लोक लेखा विधानमण्डल के मत के अध्यधीन नहीं है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 41 के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र के विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का निर्माण करता है। इसके अलावा, बजट को अन्य व्ययों से राजस्व लेखा पर व्यय को अलग करना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/ शुल्कों का अंश तथा भारत सरकार से अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में संघ शासित क्षेत्र सरकार के वे सभी व्यय शामिल हैं जो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन में फलित नहीं है। यह उन व्यय से संबंधित है जो सरकारी विभागों एवं विभिन्न सेवाओं के सामान्य रूप से कार्य करने, सरकार द्वारा व्यय किये गये ऋण पर ब्याज भुगतानों तथा विभिन्न संस्थानों को दिये गये अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन के आशय से दिये गये हों) से संबंधित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल है:

- **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बंधपत्र, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल संव्यवहार, केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, इत्यादि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ**: विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ;

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश तथा पीएसयू एवं अन्य पार्टी को सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमों पर व्यय शामिल है।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कि प्रकार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है।

	संव्यवहार के लक्षण	वर्गीकरण
सीजीए द्वारा एलएमएमएच में मानकीकृत	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंक)
	उप-कार्य	उपमुख्य शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों/ संघ शासित क्षेत्र के लिए छोड़ा गया लचीलापन	योजना	उपशीर्ष (2-अंक)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	वस्तु शीर्ष-वेतन, लघु निर्माण कार्य, इत्यादि (2-अंक)

1.4.1 सरकारी लेखाओं की संरचना

सरकारी वित्त में निम्नलिखित सम्मिलित है:

चार्ट 1.1: सरकारी लेखाओं की संरचना

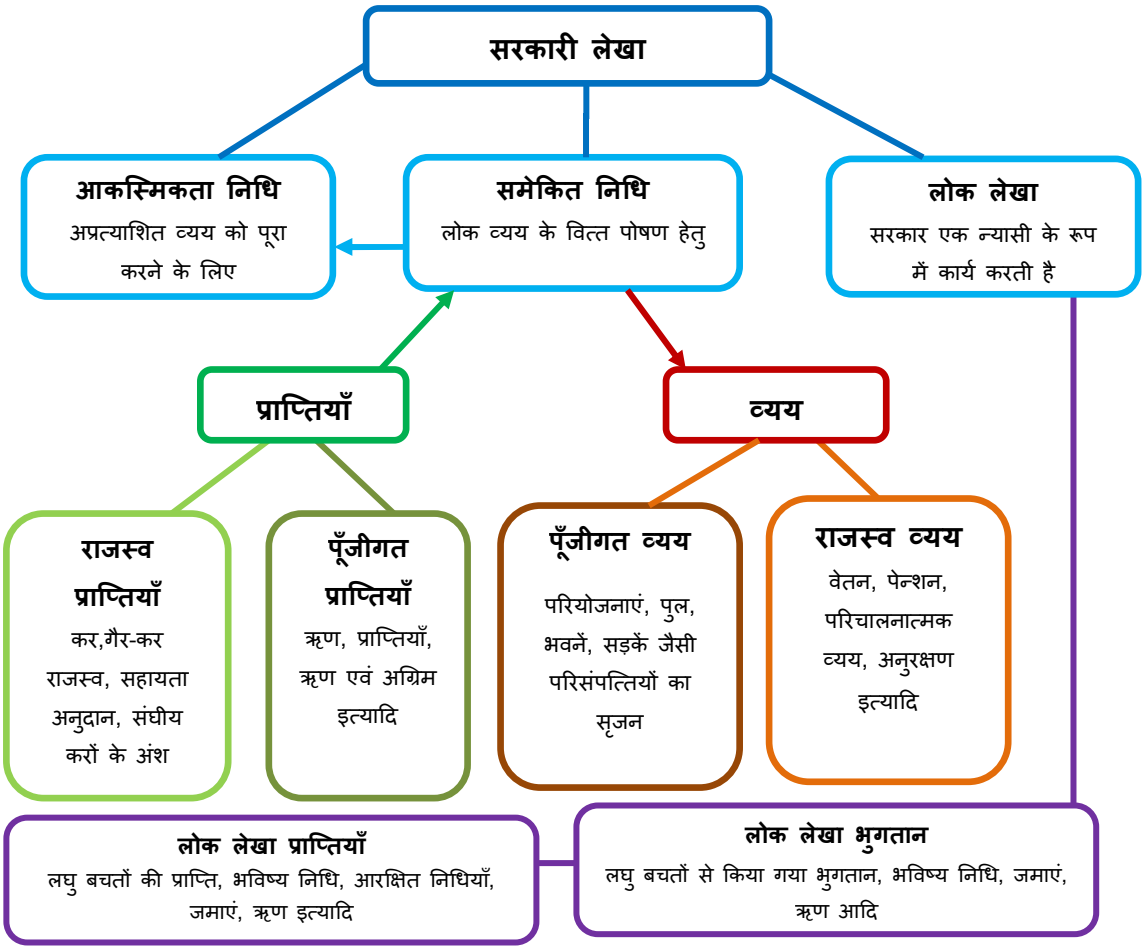

1.4.2 बजटीय प्रक्रिया

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 41 के संदर्भ में, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में, वर्ष के लिये संघ शासित क्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियों एवं

व्यय का विवरण, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा के समक्ष रखा जाना है। धारा 42 के संदर्भ में, विवरण राज्य विधानमण्डल को अनुदानों/विनियोगों हेतु मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा इनके अनुमोदनोपरांत, धारा 43 के अंतर्गत विधानमण्डल द्वारा समेकित निधि से आवश्यक धन के विनियोग हेतु विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (II), खण्ड 3, धारा 3, उप-धारा (ii), एस.ओ. 3938(ई) दिनांक 31 अक्टूबर 2019 के अनुसरण में, 31 अक्टूबर 2019 को जारी उद्घोषणा के परिणामस्वरूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (II), खण्ड 3, धारा 3, उप-धारा (ii), एस.ओ. 3937(ई) दिनांक 31 अक्टूबर 2019, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 74 तथा संविधान के अनुच्छेद 239 एवं 239ए के साथ पठित जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के अंतर्गत है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान एवं विनियोग को अधिकृत करने के लिए विधेयक, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय और किए गए अनुदानों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के व्यय के लिए संसद में प्रस्तुत किया गया था और मार्च 2020 में इसे मंजूरी दी गई थी। वर्ष 2020-21 के लिए बजट संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा 2020-21 की अवधि के व्यय के लिए विनियोग विधेयक मार्च 2020 में संसद में प्रस्तुत किए गए थे। वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लिए विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा की गई थी और इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में टिप्पणी की गई है।

1.5 वित्त का संक्षिप्त अवलोकन

कुछ घटकों के संबंध में बजट अनुमान एवं वास्तविकताओं ***(परिशिष्ट 1.1)*** की स्थिति **तालिका 1.2** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.2: वर्ष 2020-21 के लिए बजट के प्रति वास्तविकताएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	(बजट अनुमान)	(वास्तविक)	बी.ई. हेतु वास्तविकताओं का प्रतिशत	जीएसडीपी हेतु वास्तविकताओं का प्रतिशत
1	स्वयं के कर राजस्व	13,241	8,877	67.04	5.04
2	स्वयं के गैर-कर राजस्व	4,065	4,077	100.30	2.31
3	संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	15,200	0.00	0.00	0.00

4	सहायता अनुदान एवं अंशदान	54,594	39,542	72.43	22.43
5	अतिरिक्त संसाधन जुटाव	4,000	0.00	0.00	0.00
6	**राजस्व प्राप्तियाँ(1+2+3+4+5)**	**91,100**	**52,496**	**57.62**	**29.78**
7	ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	5	2	40.00	0.00
8	अन्य प्राप्तियाँ	84	0.00	0.00	0.00
9	उधार तथा अन्य देयताएं	10,240	10,693[#]	104.42	6.07
10	**पूँजीगत प्राप्तियाँ (7+8+9)**	**10,329**	**10,695**	**103.54**	**6.07**
11	**कुल प्राप्तियाँ (6+10)**	**1,01,429**	**63,191**	**62.30**	**35.85**
12	**राजस्व व्यय**	**62,664**	**52,634**	**83.99**	**29.86**
13	ब्याज भुगतान	6,891	6,372	92.47	3.61
14	**पूँजीगत व्यय**	**38,764**	**10,532**	**27.17**	**5.97**
15	पूँजीगत परिव्यय	38,656	10,470	27.09	5.94
16	ऋण तथा अग्रिम	108	62	57.41	0.04
17	आकस्मिकता निधि से विनियोजन	0.00	25	-	0.01
18	**कुल व्यय (12+14+17)**	**1,01,428**	**63,191**	**62.29**	**35.85**
19	**राजस्व घाटा (6-12)**	**28,436**	**-138**	**-0.49**	**-0.08**
20	**राजकोषीय घाटा{18-(6+7+8)**	**10,240**	**10,693**	**104.42**	**6.07**
21	**प्राथमिक घाटा (20-13)**	**3,349**	**4,321**	**129.02**	**2.45**

स्रोत: बजट 2020-21 एवं वित्त लेखे 2020-21 #उधार तथा अन्य देयताएं: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+ आकस्मिकता निधि का निवल + लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + अथ एवं अंत नकद शेष का निवल। जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में जीओआई से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल हैं।

राजस्व प्राप्तियाँ के अंतर्गत (₹38,604 करोड़) कम प्राप्ति थी, यह बजट प्राक्कलनों के संबंध में स्वयं के कर राजस्व (₹4,364 करोड़), संघीय करों के अंश (₹15,200 करोड़), अतिरिक्त संसाधन जुटाव (₹4,000 करोड़), जीओआई से सहायता अनुदान (₹15,052 करोड़) के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण थी। राजस्व व्यय बजट अनुमानों के संबंध में ₹10,030 करोड़ तक कम था। इनका परिणाम संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को बजट प्राक्कलन में अनुमानित ₹28,436 करोड़ राजस्व अधिशेष के प्रति ₹138 करोड़ के राजस्व घाटे के रूप में हुआ।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि, वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹2,171.22 करोड़ का जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र (यूटी) जम्मू एवं कश्मीर को भी यूटी सरकार की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत ₹2,099.80 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋण प्राप्त हुए, जिसमें यूटी के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं थी।

1.5.1 सरकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का संक्षिप्त अवलोकन

सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को रखा जाता है। ***परिशिष्ट 1.2*** संबंधित विगत वर्ष की स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2021 तक ऐसी देयताओं एवं परिसंपत्तियों का सार प्रदान करता है। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखाओं और आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं तथा परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय तथा संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। देयताओं एवं परिसंपत्तियों की संक्षिप्त स्थिति को **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों एवं देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं			**परिसंपत्तियाँ**		
		2020-21			**2020-21**
समेकित निधि					
क	आंतरिक ऋण	10,562	क	सकल पूँजीगत परिव्यय	15,893
ख	भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	2,105	ख	ऋण तथा अग्रिम	95
ग	आकस्मिकता निधि को हस्तांतरण	25			-
आकस्मिकता निधि		-	**आकस्मिकता निधि**		**-**
लोक लेखा					
क	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	2,186	क	अग्रिम	-
ख	जमाएं	1,356	ख	प्रेषण	-
ग	आरक्षित निधियाँ	771	ग	उचंत एवं विविध	-
घ	प्रेषण	635	**नकद शेष (चिह्नित निधि में निवेश सहित)**		1,448
ङ	उचंत एवं विविध शेष	121	**कुल**		**17,436**
		-	**राजस्व लेखाओं में घाटा**		**325**
कुल		**17,761**	**कुल**		**17,761**

स्रोत:वित्त लेखे

**जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में जीओआई से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल हैं।*

इसके अतिरिक्त, 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की ₹1,05,056 करोड़ की परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ थी जिसे अभी तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर एवं संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य विभाजित किया जाना है।

1.6 राजकोषीय शेषः घाटा एवं कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत संसद में प्रस्तुत विवरण के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए कोई राजकोषीय संकेतक-रोलिंग लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे।

1.6.1 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के राजकोषीय मापदण्ड

राजस्व घाटाः राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के मध्य अंतर राजस्व घाटा है। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का राजस्व घाटा ₹138.27 करोड़ था, जोकि जीएसडीपी का 0.08 प्रतिशत था।

राजकोषीय घाटा: राजकोषीय घाटा सरकार की उधारियों को छोड़ते हुए कुल व्यय और इसकी कुल प्राप्तियों के मध्य अंतर है। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का राजकोषीय घाटा ₹10,693.36 करोड़ था, जो जीएसडीपी का 6.07 प्रतिशत था।

प्राथमिक घाटा/अधिशेष राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतानों को घटाने के संदर्भ में है। वर्ष 2020-21के दौरान, प्राथमिक घाटा (पीडी) ₹4,320.90 करोड़ था। प्राथमिक घाटा वर्ष के दौरान जीएसडीपी का 2.45 प्रतिशत था।

1.7 लेखापरीक्षा में जाँच के पश्चात् घाटा

संघ शासित प्रदेश वित्त का बेहतर चित्र प्रस्तुत करने के लिए, राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने तथा ऑफ बजट राजकोषीय परिचालनों को संचालित करने की प्रवृत्ति है।

1.7.1 पश्च लेखापरीक्षा-घाटे

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण, नई पेन्शन योजना में कम अंशदान ने राजस्व एवं राजकोषीय घाटा को प्रभावित किया है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के पश्चात, राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

क्र. सं.	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव {कम आंकलित (+)/ अधिक आंकलित (-)} (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव कम आंकलन (₹ करोड़ में)
1	राजस्व एवं पूँजीगत के मध्य गलत वर्गीकरण	189.81	कोई प्रभाव नहीं
2	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि एमएच 8121 पर ब्याज का भुगतान न करना	13.88	13.88

क्र. सं.	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव {कम आंकलित (+)/ अधिक आंकलित (-)} (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव कम आंकलन (₹ करोड़ में)
3	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा एमएच 8336 पर ब्याज का भुगतान न करना	10.03	10.03
4	परिभाषित अंशदायी पेन्शन निधि में कम अंशदान	36.84	36.84
कुल निवल प्रभाव		**250.56**	**60.75**

स्रोत:वित्त लेखे.

वर्ष 2020-21 के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं में राजस्व घाटा ₹138.27 करोड़ का था जिसे पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि एवं जमा पर ब्याज भुगतान नहीं करने, परिभाषित अंशदायी पेन्शन निधि में कम अंशदान के कारण ₹250.56 करोड़ तक कम बताया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹10,693.36 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो कि राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा पर ब्याज का भुगतान न करने एवं परिभाषित अंशदायी पेन्शन निधि में कम अंशदान के कारण ₹60.75 करोड़ तक कम बताया गया जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है।

1.7.2 पश्च लेखापरीक्षा- कुल लोक ऋण

जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार, कुल देयताओं का तात्पर्य, समेकित निधि एवं लोक लेखा के अंतर्गत देयताएं तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उधार एवं प्रत्याभूति सहित विशेष प्रयोजन वाहन और अन्य समकक्ष उपकरण शामिल हैं, जहाँ मूलधन और/या ब्याज को बजट से बाहर किया जाना होता है, से है। बकाया ऋण/देयताओं को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है जैसा कि नीचे **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका 1.5: 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण/देयताओं के घटक

(₹ करोड़ में)

वित्त लेखे के अनुसार उधार और अन्य देयताएं	राशि
आंतरिक ऋण (क)	**10,562.20**
बाजार ऋण	**9,435.22**
अन्य संस्थानों, इत्यादि से ऋण	**1,692.29**
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि से जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	**(-)565.31**
केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ख)	**2,105.44**
गैर-योजना ऋण	15.10

वित्त लेखे के अनुसार उधार और अन्य देयताएं	**राशि**
राज्य/ संघ शासित क्षेत्र आयोजना योजनाओं हेतु ऋण	(-)175.81
अन्य	2,281.25*
लोक लेखाओं पर देयताएँ (ग)	**5,068.28**
लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	2,185.97
जमाएं	1,355.53
आरक्षित निधियाँ	771.13
उचंत एवं विविध शेष	121.15
प्रेषण	634.50
कुल(क+ख+ग)	**17,735.92**

स्रोत: वित्त लेखे

** जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में जीओआई से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल हैं।*

वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर, संघ शासित क्षेत्र के समग्र बकाया ऋण/देयताओं को उचंत, विविध एवं प्रेषण शेष के लिए लेखावद्ध नहीं करते हुए ₹755.65 करोड़ तक कम बताया गया था, जिससे जीएसडीपी के संबंध में इसे 0.43 प्रतिशत तक कम बताया गया। उचंत एवं विविध और प्रेषण के कारण देयता को ध्यान में रखने के उपरांत जीएसडीपी के लिए संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की देयताएं 8.44[1] प्रतिशत से 10.06 प्रतिशत बढ़ जाएंगी।

[1] 8.44 का समग्र ऋण जीएसडीपी अनुपात, बकाया समग्र ऋण से ऋण प्राप्तियों के तहत भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त *₹2,099.80 करोड़* के जीएसटी क्षतिपूर्ति को शामिल करने के बाद निकाला गया है। बैक-टू-बैक ऋण को किसी भी मानदंड के लिए संघ शासित क्षेत्र के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा, जो कि वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।